

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2016—श्रावण 14, शक 1938

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2016

क्र. 8944-12टीएल-22-वि-2-स्था.16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विकास आयुक्त, पंचायत और ग्रामीण विकास तृतीय श्रेणी (लिपिकवर्गीय और अलिपिकवर्गीय) सेवा भरती नियम, 1999 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

- (1) नियम 6 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा.”

- (2) नियम 11 में, उप नियम (2) का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2016

क्र. 8945-12टीएल-22-वि-2-स्था.-16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना, क्रमांक 8944-12टीएल-22-वि-2-स्था.-16, दिनांक 29 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 29th July 2016

No. 8944-12TL-22-D-2-Estt.-16.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Development Commissioner, Panchayat and Rural Development Class-III, (Ministerial and Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 1999 namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,

- (1) In rule 6, in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—
“(a) By direct recruitment through competitive examination.”.
- (2) In rule 11, sub-rule (2) shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. R. CHOUDHARY, Dy. Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्र. 1715-21-अ(स्था.)-गोप.-2016.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 6 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(क) विभिन्न अनुसूचियों में दर्शित पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा.”.

NO. 1715-21-A(Estt.)-Conf.-2016.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Law and Legislative Affairs Department (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said rules in rule 6, in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

“(a) By direct recruitment through competitive examination for the post indicated in the various Schedules.”.

क्र. 1716-21-अ(स्था.)-गोप.-2016.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग (चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती) नियम, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में,—

- (1) अनुक्रमांक 3 में कॉलम 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित कॉलम तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“हेसे परीक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात् जैसा कि विहित किया जाए, सीधी भर्ती द्वारा.”

- (2) अनुक्रमांक 3 में, कॉलम (12) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“साईकिल चालन का ज्ञान हो तथा हिन्दी लेखन का परीक्षण किया जाएगा:

परन्तु शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए साईकिल चालन परीक्षण से छूट प्राप्त होगी.”

No. 1716-21-A(Estt.)-Conf-2016.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Class-IV Service Recruitment Rules, 1978, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule,—

- (1) In serial number 3, for column (5) and entries relating thereto, the following column and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

“By direct recruitment after having passed such tests, as may be prescribed.”

- (2) In serial number 3, for column (12) and entries relating thereto, the following column and entries relating thereto shall be substituted namely :—

“Shall know cycling and shall be tested for Hindi writing :

Provided that the cycling test shall be exempted only for physically challenged persons.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी, सचिव